रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936
No. 138] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुंबई, 13 मई, 2014

**सं. टीएएमपी/12/2014-पीपीटी**.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धाराओं 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एततद्वारा, महापत्तनों में पत्तन परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शी 2013 के अंतर्गत, जो राजपत्र सं. 254 द्वारा अधिसूचना सं. टीएएमपी/18/2013-विविध दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के माध्यम से अधिसूचित किये गए थे, बीओटी आधार पर ई क्यू 1,2,3 बर्थों के मशीनीकरण के विकास हेतु संदर्भ प्रशुल्क के निर्धारण के लिए पारादीप पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटाता है ।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/12/2014-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास आवेदक

गणपूर्ति:

1. श्री टी.एस.बालासुब्रामणियन्, सदस्य (वित्त)
2. श्री सी.बी. सिंह, सदस्य (अर्थ)

## आदेश

(फरवरी 2014 के 21 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, बीओटी आधार पर पीपीटी में ईक्यू-1,2,3 बर्थों के मशीनीकरण के लिये संदर्भ प्रशुल्क की अधिसूचना के लिये पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

1.2 अधिसूचना सं. टीएएमपी/52/2007-विविध दिनांक 26 फरवरी, 2008 के माध्यम से (अधिसूचित) महापत्तनों में पीपीपी परियोजनाओं के लिये अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु मार्गदर्शियों के अनुसरण में पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) में 'डीप ड्राट आयरन ओर बर्थ' और 'डीप ड्राट कोल बर्थ' हेतु अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के लिये इस

प्राधिकरण ने एक आदेश सं. टीएएमपी/18/2008-पीपीटी दिनांक 14 जुलाई, 2008 को पारित किया था । इस आदेश को राजपत्र सं. 133 के द्वारा 16 अगस्त 2008 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था ।

2.1 पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत, दिनांक 31 जुलाई, 2013 को, अपने पत्र सं.पीआर-1409/16/2012-पीजी दिनांक 31 जुलाई, 2013 के अंतर्गत 31 जुलाई, 2013 को ''महापत्तनों में परियोजनाओं के लिये प्रशुल्क के निर्धारण हेतु मार्गदर्शी 2013'' जारी किये हैं । महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नीति निर्देशकों के अनुपालन में, कथित मार्गदर्शियों को राजपत्र सं. 214 द्वारा भारत का राजपत्र में 8 अगस्त, 2013 को अधिसूचना सं. टीएएमपी/18/2013-विविध के माध्यम से अधिसूचित किया गया था । कथित मार्गदर्शी दिनांक 31 जुलाई, 2013 से प्रभावी हो गए ।

2.2 बाद में, पोत परिवहन मंत्रालय ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत, महापत्तनों में परियोजनाओं के लिये प्रशुल्क निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शी, 2013 जारी किये और उन्हें 09 सितंबर, 2013 से प्रभावी किया । कथित संशोधित मार्गदर्शी भारत का राजपत्र में 30 सितंबर, 2013 को राजपत्र सं. 254 के माध्यम से अधिसूचित किये गए थे ।

3.1 इस पृष्ठभूमि में, पीपीटी ने, महापत्तनों में परियोजनाओं के लिये प्रशुल्क निर्धारण हेतु संशोधित मार्गदर्शी, 2013, के अंतर्गत बीओटी आधार पर, ''ईक्यू-1,2,3 बर्थों के मशीनीकरण के लिये संदर्भ प्रशुल्क की अधिसूचना हेतु, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के अपने पत्र के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

3.2 इस आधार पर कि इस प्राधिकरण द्वारा कोयले के प्रहस्तन के लिये, पीपीटी के लिये, आदेश सं. टीएएमपी/18/2008 पीपीटी दिनांक 14 जुलाई, 2008 के माध्यम से अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क कोयले के आयात के प्रहस्तन के लिये है जबकि पीपीटी में वर्तमान परियोजना में, निर्यात के कोयले का प्रहस्तन परिकल्पित है, पीपीटी ने विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) के मामले में 2008 के मागर्दर्शियों के अनुसरण में तापीय कोयले और स्टीम कोयले के प्रहस्तन हेतु आदेश सं.टीएएमपी/53/2009-वीपीटी दिनांक 4 मई 2010 के माध्यम से अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क को कोयले के निर्यात के प्रहस्तन के लिये ई क्यू-1,2,3 बर्थों के मशीनीकरण को प्रस्तावित परियोजना के लिये अपनाना प्रस्तावित किया था ।

3.3 पीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित परिमापकों की दिनांक 4 मई, 2010 वीपीटी के आदेश में विश्वास किये गए परिमापकों से सरसरी तुलना करने पर यह देखा गया कि पीपीटी की परियोजना में परिकल्पित प्रमुख परिमापक/सुविधाएं, जैसे, पूंजी लागत, इष्टतम क्षमता, बर्थों की संख्या, उपकरणों/मशीनों की संख्या और उनकी क्षमता, और अधिक प्रासंगिक रूप से रेल मार्ग-संपर्क, पत्तन द्वारा अपनाए गए वीपीटी के आदेश से उल्लेखनीय रूप से भिन्न थे । तदनुसार, दिनांक 03 फरवरी, 2014 के अपने पत्र के माध्यम से पीपीटी से, विस्तार से और संतोषजनक रूप से यह प्रस्तुत करने, बताने के लिये कहा गया था कि दिनांक 4 मई, 2010 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित वीपीटी का अपफ्रंट प्रशुल्क जो पीपीटी द्वारा अपनाया जा रहा है, वी 2013 के संशोधित मार्गदर्शियों की धारा 2.2 में अनुबंधित के अनुसार, ईक्यू-1,2,3 बर्थों के मशीनीकरण हेतु इसकी प्रस्तावित परियोजना के पर्याप्त अनुरूप है । उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, पीपीटी का प्रस्ताव, दिनांक 3 फरवरी, 2014 के हमारे पत्र के माध्यम से लौटा दिया गया था और पीपीटी को यह सूचित कर दिया गया था कि हम इस प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिये नहीं ले सकेंगे । पीपीटी से यह भी अनुरोध किया गया था कि यदि वह चाहे तो संशोधित मार्गदर्शियों 2013 की धारा 2.4 में सन्निहित अनुबंधनों के आधार पर वह अपने प्रस्ताव की समीक्षा कर ले, उसको दोबारा से देखा जाए ।

4.1 इस संबंध में पीपीटी ने दिनांक 13 फरवरी 2014 के अपने पत्र के माध्यम से उत्तर दिया है ।

4.2 दिनांक 13 फरवरी 2014 के अपने पत्र में पीपीटी द्वारा रखे गए बिंदु निम्नानुसार हैं:-

(i) महापत्तनों में प्रशुल्क-निर्धारण के लिये संशोधित मार्गदर्शी 2013 की धारा 2.2 के अनुसार यदि संबंधित महापत्तन में किसी वस्तु के लिये कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया है या किसी विशेष वस्तु के लिये निर्धारित उच्चतम प्रशुल्क, विकसित किये जाने के लिये प्रस्तावित परियोजना के अनुरूप नहीं है, तो संबंधित महापत्तन न्यास प्राधिकरण को किसी अन्य महापत्तन न्यास में प्रशुल्क मार्गदर्शी 2008 के अंतर्गत निर्धारित कोई अन्य प्रशुल्क प्रस्तावित कर सकता है।

(ii) तदनुसार, पीपीटी ने प्राधिकरण को, निकटवर्ती विशाखापत्तनम् पत्तन से जो ईस्ट क्वे-1ए टर्मिनल पर कोयले का निर्यात प्रहस्तन करता है, संदर्भ प्रशुल्क पर विचार करने के लिये दिनांक 23.01.2014 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

(iii) इस संबंध में, प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दो/दोनों टर्मिनलों में कुछ अंतर हैं । इस विषय में, यह प्रस्तुत किया जाना है कि क्षमता और मशीनों के तकनीकी विवरण की दृष्टि से विभिन्न पत्तनों में कोई भी दो परियोजनाएं समान नहीं हो सकती हैं । इस प्रकार जब तक निष्पादनता मानक बरकरार रखे जाते हैं, संबंधित पत्तन के लिये यह उचित/न्यायोचित्त है कि वह संदर्भ प्रशुल्क के रूप में अपनाए जाने के लिए उसी वस्तु या मद के लिये किसी अन्य महापत्तन न्यास में, 2008 के मार्गदर्शियों के अंतर्गत निर्धारित कोई अन्य प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रस्तावित कर सकता है ।

(iv) प्राधिकरण द्वारा पीपीटी को लिखे गए दिनांक 03.02.2014 के पत्र के क्रम सं.2 और 3.1 पर भी इंगित किया गया है कि कोयले के प्रहस्तन हेतु प्रशुल्क आदेश सं.टीएएमपी/18/2008-पीपीटी, दिनांक 28.07.2008 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा पहले अनुमोदित किया गया और 16.08.2008 को अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क को (महापत्तन न्यास में पीपीपी परियोजनाओं के लिये अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु मार्गदर्शी-2008 पर आधारित) बीओटी आधार पर पारादीप पत्तन में ईक्यू 1 से ईक्यू 3 तक की बर्थों के मशीनीकरण के लिये वर्तमान प्रस्ताव हेतु संदर्भ प्रशुल्क के रूप में लागू किया जा सकता है।

(v) इसलिये, तदनुसार पीपीटी, प्रकरण सं.टीएएमपी/18/2008-पीपीटी के माध्यम से 16 अगस्त 2008 को अधिसूचित, पीपीटी में एक 'क्रियान्वयनाधीन' परियोजना (बीओटी आधार पर डीप ड्राट कोल बर्थ का विकास) की समान वस्तु/मद के लिये उपलब्ध अधिसूचित प्रशुल्क को जैसा ऊपर बताया गया है, इंडैक्स करने और अपनाने का प्रस्ताव करता है ।

(vi) इस पृष्ठभूमि के साथ, पत्र सं.टीएएमपी/12/2009-विविध दिनांक 2 अप्रैल 2013 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त इन्डैक्सेशन मानदंडों के अनुसार, पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुमोदित प्रशुल्कों को 26.15% बढ़ाया गया है ।

(vii) इसके अलावा, नए मार्गदर्शियों की धारा 2.2 के अनुसार, प्रशुल्क प्रस्ताव में निष्पादनता मानकों को भी प्रस्तावित किया जाना चाहिये इसलिये वर्तमान परियोजना के लिये डीप ड्रॉट कोल बर्थ के कन्सेशन एग्रीमैंट में अपनाए गए निष्पादनता मानक अपनाए गए हैं ।

5. प्रकरण पर कार्रवाई करने के दौरान प्राप्त सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती हैः-

(i) इस प्राधिकरण ने महापत्तनों में पीपीपी परियोजनओं के लिये अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण हेतु मागर्दर्शियों के अनुसरण में, पीपीटी में डीपड्राट कोल बर्थ में तापीय कोयला और अन्य कोयला प्रहस्तन के लिये अन्य बातों के साथ अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते हुए एक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2008 पारित किया था ।

(ii) 2013 के संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.2 अन्य बातों के साथ, अनुबंधित करती है कि यदि किसी महापत्तन न्यास में किसी वस्तु/मद के लिये कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया है अथवा यदि संबंधित महापत्तन न्यास में किसी विशेष वस्तु / मद के लिए पर्याप्त रूप से अनुरूप हो, विस्तृत और समुचित (संतोषजनक) औचित्य प्रदान करते हुए, प्रस्तावित कर सकता है ।

(iii) यद्यपि, पीपीटी ने शुरू में अपने कोयला बर्थ के लिए संदर्भ प्रशुल्क प्राप्त करने के लिए वीपीटी में कोयला प्रहस्तन के संबंध में निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क को अपनाने का प्रस्ताव किया था, इसने, कथित रूप से हमारे सुझाव के आधार पर, बाद में ई क्यू – 1, 2 और 3 बर्थों के मशीनीकरण के लिए संदर्भ प्रशुल्क प्राप्त करने के लिए जुलाई 2008 में डीप ड्रॉट कोल बर्थ के मामले में निर्धारित इसके अपने अपफ्रंट प्रशुल्क को अपनाने का अनुरोध किया था ।

इस संबंध में यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब पीपीटी ने वीपीटी के अपफ्रंट प्रशुल्क को अपनाने का प्रस्ताव किया था, तब पीपीटी स्थित परियोजना की तुलना में वीपीटी की परियोजना के

विभिन्न परिमापकों के मानों (मूल्यों) में उल्लेखनीय अंतरों को उजागर करते हुए पीपीटी से अनुरोध किया गया था, वह विस्तार से और पर्याप्त रूप से बताए कि किस तरह पीपीटी द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित वीपीटी का अपफ्रंट प्रशुल्क इसकी प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्याप्त रूप से अनुरूप है, जैसा कि 2013 के संशोधित मार्गदर्शियों की धारा 2.2 में अनुबंधित है । ऐसा करते समय, यदि वह चाहे तो 2013 के संशोधित मार्गदर्शियों की धारा 2.4 में सन्निहित अनुबंधों के आधार पर अपने प्रस्ताव की समीक्षा करे । इस बात के चलते कि पीपीटी ने पहले ही प्रस्तुत कर दिया था कि जुलाई 2008 अपफ्रंट प्रशुल्क इसकी प्रस्तावित सुविधा के लिए पर्याप्त अनुरूप प्रशुल्क नहीं है, पीपीटी को हमारे द्वारा कभी यह सलाह नहीं दी गई थी कि वह प्रस्तावित सुविधा के लिए संदर्भ प्रशुल्क प्राप्त करने के लिए डीप ड्रॉट कोल बर्थ के मामले में जुलाई 2008 में निर्धारित अपफ्रंट प्रशुल्क को अंगीकार करे । इस स्थिति के बावजूद, पीपीटी ने, बाद में, प्रस्तावित सुविधा में तापीय कोयले के प्रहस्तन के लिए संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु डीप ड्रॉट कोल बर्थ के मामले में तापीय कोयले के लिए निर्धारित इसके अपने अपफ्रंट प्रशुल्क को अपनाने हेतु पत्तन के विवेक निर्णय पर भरोसा किया जाता है ।

(iv) 2013 के संशोधित मार्गदर्शी अनुबंध करते हैं कि संदर्भ प्रशुल्क अपनाए जाते समय 2008 के मार्गदर्शियों के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क, उस वर्ष की 1 जनवरी जिस वर्ष विचाराधीन विशिष्ट परियोजना के लिए संदर्भ प्रशुल्क अधिसूचित किया जा रहा हो, जैसाकि 2008 के मार्गदर्शियों के अंतर्गत इस प्राधिकरण के प्रासंगिक प्रशुल्क आदेश में प्रदत्त है, और उसके बाद के प्रासंगिक वर्ष की 1 जनवरी के बीच की अवधि के लिए प्रति वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के 60% तक बढ़ाया जाएगा, जैसाकि कथित मार्गदर्शियों में प्रदत्त है ।

पीपीटी स्थित डीप ड्रॉट कोल बर्थ के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क जुलाई 2008 में अधिसूचित किया गया था । पीपीटी की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची विशिष्ट रूप से कहती है कि कथित आदेश में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क दरों में इन्डैक्सेशन के लिए थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1 जनवरी 2008 होगा । तदनुसार पीपीटी ने जुलाई 2008 के आदेश के माध्यम से, पीपीटी स्थित ड्रीप ड्रॉट कोल बर्थ के लिए अनुमोदित प्रशुल्क ऊपरी सीमा पर 26.15% इंडैक्सेशन फैक्टर लागू किया है । यह इंडैक्सेशन फैक्टर 1 जनवरी 2008 को थोक मूल्य सूचकांक आधार के रूप में वर्ष 2013 में निर्धारित संदर्भ प्रशुल्क के लिए लागू किये जाने हेतु सभी महापत्तन न्यासों को हमारे द्वारा संचरित किये गए इंडैक्शेसन फैक्टर के रूप में देखा गया है।

पीपीटी के तात्कालिक मामले में, चूंकि मामला वर्ष 2014 में निपटाया जा रहा (फाइनालाइज़ किया जा रहा) है, पीपीटी में कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए संदर्भ प्रशुल्क वर्ष 2008 और वर्ष 2014 के बीच होने वाले इंडैक्सेशन फैक्टर के संदर्भ से इंडैक्स किया जाना है । इसं संबंध में, वर्ष 2014 के लिए लागू किया जाने वाला इंडैक्सेशन फैक्टर 2013 के नवंबर और दिसम्बर माह के फाइनल थोक मूल्य सूचकांक आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण (केवल अनन्तिम आंकड़े ही उपलब्ध हैं), स्थिर नहीं किया गया है । इसलिए, पीपीटी के प्रकरण में वर्ष 2013 का पीपीटी का इंडैक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क प्रदान किया जाना है ।

फिर भी वर्ष 2013 से संबंधित संदर्भ प्रशुल्क (वर्ष 2013 के लिए लागू इंडैक्सेशन फैक्टर के आधार पर) से पीपीटी के सफल बोलीदाता को, कोई नुक्सान नहीं होगा, जैसाकि पीपीटी के अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में उल्लेख किया जा रहा है कि कथित आदेश में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में उल्लेख किया जा रहा है कि कथित आदेश में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क दरों में इंडैक्सेशन के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का आधार वर्ष 1 जनवरी 2013 होगा और इस प्रकार सफल बोलीदाता का प्रशुल्क 2013 के आधार वर्ष के संदर्भ से और उस वर्ष के संदर्भ से जिस वर्ष प्रचालन आरंभ होंगे, तय किया जायेगा ।

इसलिए प्रस्तावित सुविधा में तापीय कोलया प्रहस्तन के लिए इंडैक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क जैसाकि वर्ष 2013 के लिए लागू है, इंडैक्सेशन फैक्टर के आधार पर निकाला गया है, व्यवस्थित पाया गया है ।

(v) प्रस्तावित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में पीपीटी ने, पीपीटी संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची के भाग के रूप में परिभाषाएँ और सामान्य नियम तथा शर्तें प्रदान नहीं किये हैं । इसके अलावा, पीपीटी के द्वारा कार्गो प्रहस्तन प्रभार, भंडारण प्रभार और बर्थ किराया प्रभार लगाए जाने को शासित करने वाली विभिन्न शर्तें भी प्रस्तावित की गईं दिखाई नहीं दी हैं । इस संबंध में यहाँ यह वर्णन करना प्रासंगिक होगा कि पीपीटी स्थित डीप ड्रॉट कोल बर्थ के लिए जुलाई 2008 में अनुमोदित अप फ्रंट प्रशुल्क अनुसूची ने भी परिभाषाएँ, सामान्य शर्तें एवं नियम और कार्गो प्रहस्तन प्रभार, भंडारण प्रभार और बर्थ किराया प्रभार लगाने को शासित करने वाली शर्तें नहीं प्रदान की थीं । जो सामान्य रूप से विभिन्न महा पत्तन न्यासों की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची में प्रदान किये जाते हैं । इसलिए, वीपीटी की अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची का भाग बनी परिभाषाएँ, सामान्य नियम एवं शर्तें और कार्गो प्रहस्तन प्रभार, भंडारण प्रभार और बर्थ किराया प्रभार को लगाने को शासित करने वाली अन्य सभी शर्तें (आदेश सं. टीएएमपी / 53 /2009-वीपीटी, दिनांक 4 मई 2010) समुचित रूप से, पीपीटी की संदर्भ प्रशुल्क अनुसची में भी प्रदान की गई हैं ।

(vi) 2013 के संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.2 इस प्राधिकरण से अपेक्षा करती है कि वह निष्पादनता मानकों के साथ संदर्भ प्रशुल्क भी प्रदान करे । हालांकि 2013 के संशोधित मार्गदर्शी इस प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं करते कि वह पत्तन द्वारा प्रस्तावित निष्पादनता मानकों की गहराई में जाए. फिर भी यह मानना अनुचित नहीं होगा कि पत्तन यथोचित और प्राप्त करने योग्य निष्पादनता मानक प्रस्तावित करे ।

निष्पादनता मानकों के विषय में, पीपीटी ने 48000 टन प्रति दिन पर प्रति बर्थ सकल बर्थ आउट पुट (ग्रॉस बर्थ आउट पुट) प्रस्तावित किया है । कथित निष्पादनता मानक को केपसाइज़ पोतों (50,000 टन) और पेनामैक्स पोतों (35000टन) के औसत आउट पुट के आधार पर और केपसाइज पोतों तथा पेनामैक्स साइन पोतों की 80 : 20 पर हिस्सेदारी के आधार पर (पर आधारित) देखा गया है, जैसाकि पीपीटी स्थित डीप ड्रॉट कोल बर्थ की इष्टतम क्षमता परिगणना में विश्वास किया गया था।

निर्यात तापीय कोयले के लिए पारगम्य भंडारण प्रवास समय प्राप्ति/ सुपुर्दगी प्रचालन के संबंध में पीपीटी द्वारा प्रदत्त अन्य निष्पादनता मानक भी पीपीटी द्वारा प्रस्तावित के रूप में प्रदान किये गए हैं ।

पीपीटी ने निष्पादनता मानकों को शासित करने वाली शर्तें भी प्रदान नहीं की हैं । यह मानते हुए कि 2013 के संशोधित मार्गदर्शियों की धारा 2.2 अपेक्षा करती है कि यह प्राधिकरण निष्पादनता मानक अधिसूचित करे, पत्तन द्वारा प्रस्तावित निष्पादनता मानक, संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची के साथ अधिसूचित किये जाते हैं ।

(vii) पहले बताए गए कारणों से प्रत्येक अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रशुल्क ऊपरी सीमाओं (कैप्स) में स्वत: समायोजन के लिए पीपीटी की संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची में निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी प्रदान किया जाता है:

प्रशुल्क की ऊपरी सीमाएं मुद्रास्फीति के अनुसार इंडैक्स की जाएंगी किंतु 1 जनवरी 2013 और प्रासंगिक की जायेगी और प्रासंगिक वर्ष की 1 जनवरी के बीच थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में होने वाले उतार – चढ़ाव के 60% की सीमा तक ही । प्रशुल्क की ऊपरी सीमाओं में ऐसा स्वत: समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा और समायोजित प्रशुल्क ऊपरी सीमाएँ प्रासंगिक वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी ।

6.1 उपरोक्त के अधीन, संदर्भ प्रशुल्क को शासित करने वाली शर्तों के साथ-साथ संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची को सुधार दिया गया है ।

6.2 सुधारी गई संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची संलग्नक-I के रूप में संलग्न है और ई क्यू – 1,2,3 बर्थों के मशीनीकरण के लिए निष्पादनता मानक, जैसे पत्तन द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, संलग्नक-II के रूप में संलग्न हैं ।

6.3 परिणामस्वरूप, और ऊपर दिये गए कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर ईक्यू 1,2, 3 बर्थों के मशीनीकरण के लिए संशोधित संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची अनुमोदित की जाती है और निष्पादनता मानकों के साथ अधिसूचित की जाती है ।

6.4 संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी 2013 की धारा 2.5 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संदर्भ प्रशुल्क और निष्पादनता मानकों का बोली दस्तावेजों में उल्लेख किया जाएगा और बाद में, पीपीपी परियोजनाओं के विषय में कन्सेशन ऐग्रीमैंट में भी (इनका) उल्लेख किया जायेगा । तदनुसार पीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह संदर्भ प्रशुल्क और निष्पादनता मानकों को बोली दस्तावेजों में और तदनंतर पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित कन्सेशन ऐग्रीमैंट्स में शामिल करे ।

7.1 वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से उसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्रशुल्क, उस वर्ष के लिए प्रासंगिक इंडैक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित रहेगा जो उच्चतम होगा । पूर्वोक्त संदर्भ प्रशुल्क, एक इंडैक्सेशन के आधार पर, जैसा कि 2013 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों के पैरा 2.2 में प्रदान किया गया है, प्रत्येक वर्ष स्वत: ही संशोधित किया जाएगा, जो समस्त रियायती अवधि के लिये लागू रहेगा ।

तथापि, पीपीपी प्रचालक प्रचालन के दूसरे वर्ष से आगे के लिये, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए इंडैक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क से अधिक, ( निष्पादनता मानकों के साथ प्रशुल्क निष्पादनता से जुड़ा प्रशुल्क) आगामी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रस्तावित करने हेतु स्वतंत्र होगा । ऐसा निष्पादनता युक्त प्रशुल्क उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए इंडैक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क से 15% से ज्यादा से अधिक नहीं होगा (और यह प्रशुल्क की ऊपरी सीमा होगी)। निष्पादनतायुक्त प्रशुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रभावी हो जाएगा और पूरे वित्तीय वर्ष प्रभावी रहेगा ।

7.2 परियोजना के कन्सेशन ऐग्रीमैंट के अंतर्गत नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर से प्राप्त एक प्रमाण पत्र के साथ जिसमें पिछले 12 माह में, जैसा कन्सेशन ऐग्रीमैंट में शामिल किया गया है अथवा प्रचालन के पहले वर्ष में प्रचालन के महीनों की वास्तविक संख्या के लिए निष्पादनता मानकों की उपलब्धता दर्शाते हुए, प्रस्ताव प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा ।

7.3 प्रस्ताव प्राप्त करने पर, प्राधिकरण निष्पादनता मानकों की उपलब्धि प्रस्ताव की प्राप्ति के सात दिन के भीतर पीपीटी के विचार मांगेगा, जैसाकि 2013 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों के पैरा 5 में आउटलाइन किया गया है ।

7.4 यदि प्रचालक एग्रीमैंट में शामिल किये गए के अनुसार पिछले 12 माह में निष्पादनता मानक प्राप्त नहीं करता है, तो प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निष्पादनता से जुड़ा प्रशुल्क अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और प्रचालक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू केवल इंडैक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क का पात्र (लाभार्थी) होगा ।

7.5 पीपीटी के विचारों पर विचार करने के बाद यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि निष्पादनता मानक जैसा कन्सेशन एग्रीमैंट में शामिल किए गए हैं, प्राप्त कर लिये गए हैं तो प्राधिकरण निष्पादनता से जुड़े प्रशुल्क को, आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी करने के लिए 15 मार्च तक अधिसूचित करेगा ।

7.6 निष्पादनता से जुड़े प्रशुल्क के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय प्राधिकरण निष्पादनता मानकों की तथा प्रचालक द्वारा उनके द अनुपालन की जाँच परख करेगा । प्रचालक द्वारा निष्पादनता मानकों की उपलब्धि या अन्यथा के आधार पर प्राधिकरण निष्पादनता से जुड़े प्रशुल्क को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेगा । इंडैक्स्ड संदर्भ प्रशुल्क और निष्पादनता से जुड़े प्रशुल्क का निर्धारण 2013 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों से जुड़े परिशिष्ट में प्रदर्शित रेखाचित्र का अनुपालन करेगा ।

7.7 प्रचालन के तीसरे वर्ष से, पीपीपी प्रचालक से प्राप्त निष्पादनता से जुड़ा प्रशुल्क प्रस्ताव, पिछले 12 महिनों की अवधि में निष्पादनता मानकों की उपलब्धि के अधीन, जैसा स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाए, प्राधिकरण द्वारा अपने आप अधिसूचित किया जायेगा । पीपीपी प्रचालक, तीसरे वर्ष से आगे के लिए निष्पादनता से जुड़े प्रशुल्क हेतु 1 मार्च तक स्वतंत्र इंजीनियर से उपलब्धि प्रमाण पत्र के साथ निष्पादनता से जुड़ा प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा

और प्राधिकरण 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा । ताकि निष्पादनता से जुडा प्रशुल्क आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी किया जा सके ।

7.8 यदि किसी उपयोगकर्ता को. प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित निष्पादनता मानकों के पीपीपी प्रचालक द्वारा प्राप्त न किये जाने के संबंध में कोई शिकायत हो तो वह प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद, प्राधिकरण अभ्यावेदन के विषय में जाँच-पड़ताल करवाएगा और जाँच का परिणाम पीपीटी को देगा । कन्सेशन ऐग्रीमैंट के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार पीपीटी, उन निष्कर्षों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा ।

7.9 कन्सेशन ऐग्रीमैंट पर हस्ताक्षर करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रचालक, कन्सेशन ऐग्रीमैंट प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा जो (प्राधिकरण) उसे अपने वैबसाइट पर सवार करेगा ।

7.10 पीपीटी प्रचालक, कार्गो यातायात शिप बर्थ-डे आउटपुट, पोतों का औसत वापिस लौटना का समय, बर्थिंग पूर्व का औसत प्रतीक्षा समय के साथ-साथ प्रत्येक बर्थ पर वसूले जाने वाले प्रशुल्क पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा । यह त्रैमासिक रिपोर्ट पीपीटी प्रचालक द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के तुरंत बाद एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । प्राधिकरण को यदि कोई अन्य सूचना की भी आवश्यकता होगी तो वह भी समय-समय पर उसे दी जाएगी ।

7.11 प्राधिकरण, पीपीपी प्रचालक से प्राप्त ऐसी समस्त सूचना अपने वैब-साइट पर प्रकाशित करेगा । तथापि, प्राधिकरण प्रस्तुत किये गए कुछ डाटा को जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हो, प्रकाशित न करने के बारे में किसी भी पीपीपी प्रचालक से प्राप्त अनुरोध पर विचार कर सकता है । ऐसे अनुरोधों के साथ विचाराधीन / विवादित डाटा / सूचना के वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील होने के संबंध में विस्तृत सफाई और इसके प्रकाशन पर उनके राजस्व / प्रचालन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का विवरण संलग्न होना चाहिए । इस विषय में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

टी. एस. बालासुब्रामणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/143/2014]

**संलग्नक –I**

## संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची

## पैरादीप पत्तन न्यास में ई क्यू 1,2, 3 बर्थों का मशीनीकरण

1.1 **परिभाषाएं**

इस दरमान में, जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगीः-

(i) **'तटीय पोत''** से तात्पर्य है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसैंस धारक कोई भी पोत जो केवल भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी अन्य पोत या स्थान के बीच कारोबार में लगा हुआ है ।

(ii) **विदेशगामी पोत** से तात्पर्य तटीय से इतर कोई पोत है ।

(iii) **'दिन''** से तात्पर्य वह अवधि जो सुबह 6.00 बजे से शुरू होकर दूसरे दिन की सुबह 6.00 बजे तक है ।

1.2 **सामान्य नियम एवं शर्तें**

(i) पोत संबंधी प्रभार लगाने के प्रयोजन से 'तटीय'' अथवा 'विदेश गामी'' श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए पोत का दर्जा, जैसा सीमा शुल्क विभाग अथवा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी इसके प्रमाणन में दिया गया होगा, निर्णायक फैक्टर होगा और कार्गो की प्रकृति अथवा उसके उदगम की, इस प्रयोजन से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी ।

(ii) (क) सभी तटीय पोतों के लिए बर्थ किराया प्रभार, अन्य पोतों के लिए तदनुरूप प्रभारों के 60% ज्यादा नहीं होने चाहिए ।

(ख) तापीय कोयले को छोड़कर शेष सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो संबंधी प्रभार सामान्य कार्गो संबंधी प्रभारों के 60% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ।

(ग) कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में रियायती दरें पोत से तट तक अंतरण और क्वे से / को भंडारण यार्ड को / से अंतरण के लिए पोत घाट शुल्क समेत सभी प्रासंगिक प्रहस्तन प्रभारों पर, लगायी जानी चाहिए ।

(घ) विदेशी पत्तन से आने वाले कार्गो पर जो बाद में, भारतीय पोत 'ख' को पोतान्तरण के लिए भारतीय पत्तन 'क'पर पहुँचता है, उसकी तटीय यात्रा के लिए प्रासंगिक रियायत प्रभार जायेंगे । दूसरे शब्दों में तटीय यात्रा पर जाने के लिए अनुमति प्राप्त पोतों द्वारा भारतीय पोतों से / को ले जाया जाने वाला कार्गो रियायत का अर्हक होगा ।

(iii) विलंबित भुगतानों/धन वापसियों पर ब्याज

(क) उपयोगकर्त्ता को विलंबित भुगतानों पर इस दरमान के अंतर्गत दंड ब्याज का भुगतान करना होगा । इसी प्रकार, टर्मिनल प्रचालक को विलंबित धन वापसियों पर दंड-ब्याज़ का भुगतान करना होगा ।

(ख) दंड-ब्याज़ की दर, भारतीय स्टेट बैंक की उच्चतम ऋण दर से 2% ज्यादा होगी ।

(ग) धन वापसी (रिफंड) में विलंब सेवाओं के पूर्ण होने की तिथि या उपयोगकर्त्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति इनमें से जो भी बाद में हो से 20 दिन बाद गिना जाएगा ।

(घ) उपयोगकर्त्ताओं द्वारा भुगतानों में विलंब, टर्मिनल प्रचालक द्वारा बिल प्रस्तुत करने की तिथि के बाद, 10 दिनों के बाद गिना जाएगा । किंतु यह प्रावधान वहां लागू नहीं होगा । जहां भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाना हो और/ जहां प्रभारों का भुगतान इस दरमान में एक शर्त के रूप में दिया गया हो ।

(iv) सकल वजन की गणना करने में अथवा किसी अलग वस्तु / मद के आयतन अथवा क्षमता को मापने में 0.5 तक की और इसे शामिल करते हुए प्रत्येक अंश 0.5 ईकाई गिनी जायेगी और 0.5 से बड़ी भिन्न एक ईकाई गिनी जायेगी सिवाय उसके जहाँ विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो ।

(v) बिल का सकल योग करने पर परिगणित सभी प्रभार अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकों में लिखे जायेंगे ।

(vi) (क) इस दरमान में प्रदत्त दरें उच्चतम/अधिकतम स्तर हैः इसी प्रकार छूट और कटौतियां निम्नतम/न्यूनतम स्तर हैं । यदि टर्मिनल प्रचालक चाहे तो वह कमतर/निम्नतर दरें मांग सकता है और/या उच्चतर/ज्यादा छूट और कटौतियां प्रदान कर सकता है ।

(ख) टर्मिनल ऑपरेटर चाहे तो दरमान में प्रदत्त दरों को लागू किये जाने को शासित करने वाली प्रदत्त शर्तों को तर्क संगत बना सकता है, यदि शर्तों को इस प्रकार तर्क-संगत बनाने से उपयोगकर्त्ता को प्रति यूनिट दर में राहत मिलती है और दरमान में प्रदत्त यूनिट दरें अधिकतम/उच्चतम स्तर से अधिक न हों ।

(ग) यह इस शर्त पर है कि टर्मिनल प्रचालक इस प्रकार की कमतर दरें और/या ऐसी दरों के लागू करने को शासित करने वाली शर्तों को तार्किक बनाए जाने को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करेगा, बशर्ते कि निर्धारित की गई नई दरें, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों से ज्यादा न हों ।

(vii) तार्किक स्तर से अधिक ऐसे विलंबों के लिये, जिनके लिये टर्मिनल प्रचालक को जिम्मेदार ठहराया जा सके, उपयोगकर्त्ता से प्रभारों का भुगतान अपेक्षित नहीं होगा ।

**2. कार्गो संबंधी प्रभारः-**

**2.1 कार्गो प्रहस्तन प्रभार**

**कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर देय होंगे-**

| क्र.सं. | वस्तु | यूनिट | दर रु. में |
|---|---|---|---|
| क | तापीय कोयला | प्रति मिट्रिक टन | 164.00 |

**नोट्सः-**

(i) उपरोक्त दर तापीय कोयले को पोत पर चढ़ाने, स्टक यार्ड में ुलाई, रेल्वे वैगन से तापीय कोयले को उतारने के समय के बाद 10 दिन की निःशुल्क अवधि तक स्टेक यार्ड में भंडारण करने, रेलवे वैगनों से उतारने और स्टेक यार्ड में ेर लगाने और अन्य सभी प्रदत्त विविध सेवाओं के लिए मिश्रित दर है ।

**2.2 भंडारण प्रभार**

स्टेक यार्ड में निःशुल्क अवधि से आगे भंडारित कार्गो के लिए भंडारण प्रभार निम्नानुसार होंगे –

(दर रु. प्रति मी.टन प्रति दिन)

| क्र. सं. | वस्तु | निःशुल्क अवधि के बाद बाकी बचे कार्गो के लिए पहले 5 दिनों के लिए दर | शेष बचे कार्गो के लिए 6वें दिन से 10 वें दिन तक की दर | शेष बचे कार्गो के लिए 11वें दिन और उससे आगे की दर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | तापीय कोयला | 15.14 | 30.28 | 60.55 |

**नोट्सः-**

(i) 10 निःशुल्क दिन अनुमत किये जायेंगे, निर्यात कार्गो की निःशुल्क अवधि की गणना सामान (कार्गो) की पत्तन परिसर में प्राप्ति की वास्तविक तिथि से आरंभ होगी । निःशुल्क अवधि की गणना के प्रयोजन से सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिन और टर्मिनल के अ-कार्यदिवस शामिल नहीं किये जायेंगे ।

(ii) भंडारण प्रभार, प्रदत्त निःशुल्क दिनों से आगे भंडारण के लिए, टर्मिनल के अकार्य दिवसों और सीमा शुल्क अधिसूचित अवकाश दिवसों समेत सभी दिनों के लिए देय होंगे ।

(iii) कार्गो पर भंडारण प्रभार उस अवधि के लिए नहीं जुडेगा जिसमें टर्मिनल प्रचालक, उपयोगकर्त्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर, उन कारणों से जिनके लिए टर्मिनल प्रचालक को जिम्मेदार ठहराया जा सके, कार्गो सुपुर्द रने/पोत लदान करने की स्थिति में न हो ।

3. **बर्थ किराया प्रभार**

पोतों के लिए मास्टरों/मालिकों/एजेंटों द्वारा देय बर्थ किराया प्रभार निम्न दरों के अनुसार देय होंगे-

| क्र. सं. | पोत | दर प्रति जीआरटी प्रति घंटा अथवा उसका अंश (रु.) | |
|---|---|---|---|
| | | विदेश गामी पोत | तटीय पोत |
| 1 | सभी पोत | 0.93 | 0.56 |

**नोट्स-**

(i) बर्थ किराया की अवधि, पोत द्वारा बर्थ पर आने के समय से पोत के बर्थ खाली करने के समय तक गिनी जायेगी ।

(ii) बर्थ किराया में, बर्थ पर प्रदत्त सेवाओं के लिए, जैसे, बर्थ पर स्थान ग्रहण करना, कूड़ा-कचरा हटाना, बर्थों की सफाई, अग्नि-निगरानी इत्यादि के लिए प्रभार शामिल हैं ।

(iii) उस अवधि के लिए जिसमें पोत, टर्मिनल प्रचालक के उपकरण उपलब्ध न होने अथवा बिजली गुल हो जाने या किसी ऐसे कारण से जिसके लिए टर्मिनल प्रचालक को जिम्मेदार ठहराया जाए, लगातार एक घंटा अथवा अधिक समय तक बेकार खड़ा रहे, कोई बर्थ किराया नहीं लगाया जायेगा ।

(iv) (क) पोत द्वारा समुद्री यात्रा पर निकलने की तैयारी का सिग्नल देने के समय चार घंटे बाद बर्थ किराया रुक जायेगा ।

(ख) बर्थ किराया रोकने के लिए प्रदत्त 4 घंटों की समय सीमा में, अनुकूल ज्वार भाटा स्थितियाँ मिलने के लिए तूफानी मौसम बीतने और नाइट नेवीगेशन के अभाव में पोत का प्रतीक्षा समय शामिल नहीं होगा ।

(ग) पोत का मास्टर अनुकूल ज्वार भाटा और मौसमी परिस्थितियों के अनुसार ही समुद्री यात्रा पर निकलने की तैयारी का सिग्नल देंगे ।

(v) झूठे सिग्नल के लिए दण्डात्मक बर्थ किराया एक दिन के (24 घंटे) के बर्थ किराया प्रभार के बराबर होगा ।

जब पोत तैयारी का सिग्नल देता है, और अग्रिम रूप से प्रत्याशा में पायलट की मांग कर लेता है, जबकि पोत, उसका इंजन तैयार न होने के कारण अथवा कार्गो प्रचालन पूरा न होने के कारण अथवा ऐसे ही किसी कारण से जिसके लिए पोत को जिम्मेदार ठहराया जा सके, बर्थ से रवाना होने के लिए तैयार न हो, तो वह झूठा सिग्नल होगा । इसमें तैयार होने का वह सिग्नल देना शामिल नहीं है जब पोत अन-अनुकूल (प्रतिकूल) ज्वारभाटा, नाइट नेविगेशन के अभाव अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यात्रा पर न निकल पा रहा हो ।

**4. ऊपर क्रम सं. 2 और 3 के लिए सामान्य नोट**

संदर्भ प्रशुल्क मुद्रास्फीति के अनुरूप इन्डैक्स किया जाएगा, किन्तु 1 जनवरी 2013 और प्रासंगिक वर्ष की 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में होने वाले उतार-चढ़ाव के 60% तक की सीमा में ही । संदर्भ प्रशुल्क का ऐसा स्वत: समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा और समायोजित प्रशुल्क की ऊपरी सीमाएँ प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी ।

**संलग्नक–II**

**पैरादीप पत्तन न्यास में ई क्यू 1, 2, 3 बर्थों का मशीनीकरण के लिए निष्पादनता मानक**

| क्र.सं. | निष्पादनता संकेतक | निष्पादनता मानक |
|---|---|---|
| 1. | तापीय कोयले के लिए प्रति बर्थ सकल बर्थ आउट पुट | 48000 टन प्रति दिन |
| 2. | तापीयी कोयला निर्यात के लिए पारगमन भंडारण ठहराव समय | 10 दिन |
| 3. | प्राप्ति सुपुर्दगी प्रचालन के लिए वापस लौटने (टर्न अराऊंड) समय | |
| | तापीय कोयले के लिए रैक (एकल प्रचालन) | 10 घंटे |
| | तापीय कोयले के लिए रैक (दोहरा प्रचालन) | 18 घंटे |

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th May, 2014

**No. TAMP/12/2014-PPT.**—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for fixation of reference tariff for development of Mechanization of EQ – 1, 2, 3 Berths on BOT basis under the revised guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013, which were notified vide Notification No. TAMP/18/2013-Misc. dated 30th September, 2013 vide Gazette No. 254, as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**No. TAMP/12/2014–PPT**

**Paradip Port Trust** —— **Applicant**

**QUORUM:**

(i) Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. C. B. Singh, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 21th day of February, 2014)

This case relates to the proposal received from Paradip Port Trust (PPT) for notification of Reference Tariff for Mechanization of EQ – 1, 2, 3 Berths at the PPT on BOT basis.

1.2. This Authority has passed an order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July, 2008 fixing upfront tariff for a deep draught iron ore berth and a deep draught coal berth at the Paradip Port Trust (PPT) in pursuance of the guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Ports vide Notification No. TAMP/52/2007-Misc. dated 26 February, 2008. This Order was notified in the Gazette of India on 16 August 2008 vide Gazette No. 133.

2.1. The Ministry of Shipping (MOS) under cover of its letter No. PR-14019/16/2012-PG dated 31 July, 2013 has issued 'Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013' under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 on 31 July, 2013. In compliance of the policy directives issued by the (MOS) under Section 111 of the MPT Act, 1963, the said Guidelines were notified vide Notification No.TAMP/18/2013-Misc. in the Gazette of India on 8 August, 2013, vide Gazette No. 214. The said Guidelines came into effect from 31 July, 2013.

2.2. Subsequently, the MOS issued revised Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013 under Section 111 of the Major Port Trusts Act and made it effective from 9 September, 2013. The said revised guidelines were notified in the Gazette of India on 30 September, 2013 vide Gazette No. 254.

3.1. In this backdrop, the PPT under cover of its letter dated 23 January 2014 had submitted a proposal for notification of reference tariff for "Mechanization of EQ – 1, 2, 3 berth" at PPT on BOT basis, under the guidelines of Tariff for Port Projects at Major Ports, 2013.

3.2. On the ground that the upfront tariff approved by this Authority for the PPT to handle coal vide Order No. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July, 2008 is for handling coal imports and whereas, the present project at PPT envisages handling of coal exports, the PPT had proposed to adopt the upfront tariff approved in the case of Visakhapatnam Port Trust (VPT) vide Order No. TAMP/53/2009-VPT dated 4 May, 2010 to handle thermal coal and steam coal in pursuance of guidelines of 2008, for its proposed project of mechanization of EQ–1, 2, 3 Berths to handle coal exports.

3.3. On a quick comparison of the parameters relating to the PPT proposal as furnished by it vis-à-vis, the parameters relied upon in the VPT Order dated 4 May, 2010, it was seen that the key parameters/ facilities envisaged at the PPT like the capital cost, optimal capacity, number of berths, no. of equipment and their capacity and more pertinently railway connectivity envisaged in PPT project was significantly different from Order of the VPT adopted by the Port. Accordingly, the PPT was requested vide our letter dated 03 February, 2014 to furnish detailed and sufficient justification as to how the upfront tariff of VPT approved vide order dated 4 May, 2010 and being adopted by the PPT is representative enough for its proposed project for mechanization of EQ – 1, 2, 3 Berths as stipulated in Clause 2.2 of the revised guidelines of 2013. In view of the above position, the proposal of PPT was returned vide our letter dated 03 February, 2014 and it was conveyed to PPT that we would not be in a position to take up the proposal of PPT for further processing. The PPT was also requested to have a re-look at its proposal, based on the stipulations contained in clause 2.4 of the revised guidelines of 2013, if it so desires.

4.1. In this connection, the PPT vide its letter dated 13 February, 2014 has responded.

4.2. The main points made by the PPT in its letter dated 13 February, 2014 are summarized below:

(i) According to clause No. 2.2 of the "Revised Guidelines for Determination for Tariff at Major Ports, 2013", in case no tariff has been fixed for a commodity at the concerned Major Port Trust or if the highest tariff fixed for a particular commodity does not represent the project proposed to be developed then concerned Major Port Trust can propose to TAMP any other tariff fixed under 2008 tariff guidelines in any other Major Port Trust.

(ii) Accordingly, PPT had submitted the proposal dated 23.01.2014 to TAMP to consider the Reference Tariff from nearby Visakhapatnam Port which handles coal exports at East Quay-1A terminal.

(iii) In this regard, TAMP has communicated that there are certain differences between the two terminals. In this connection, it is to submit that no two projects can be similar in different ports in terms of capacity and equipment configuration. As such, as long as the performance standards are retained, it is justifiable for the concerned Port to propose to TAMP any other Tariff fixed under 2008 guidelines in any other Major Port Trust for the same commodity for adoption as reference Tariff.

(iv) However, it has also been indicated at Sl. 2 and 3.1 in TAMP letter to PPT dated 03.02.2014 that the upfront tariff earlier approved by TAMP to handle coal vide Tariff Order No. TAMP/18/2008-PPT, dated 28.07.2008 and notified on 16.08.2008 (based on guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Port Trust-2008) can be applied as reference tariff for the present proposal for 'Mechanization of EQ-1 to EQ-3 berths at Paradip Port on BOT basis'.

(v) Hence, accordingly, PPT now proposes to index and adopt the available notified tariff as stated above for same commodity of an 'under implementation' project at PPT ("Development of deep draught coal berth on BOT basis"), notified vide Case No. TAMP/18/2008-PPT on 16th August, 2008.

(vi) With this background, approved tariffs of aforesaid notification have been escalated by 26.15% as per indexation norms provided by TAMP vide letter No TAMP/12/2009- Misc dated 2 April, 2013.

(vii) Further, as per Clause 2.2 of the new Guidelines, Performance Standards are required to be proposed in the tariff proposal. Hence performance standards adopted in Concession Agreement of deep draught coal berth have been adopted for current project.

5 With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i) This Authority had passed an Order dated 14 July, 2008, interalia, fixing upfront tariff for handling thermal coal and other coal at deep draught coal berth at the PPT, in pursuance of the guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Ports.

(ii) Clause 2.2. of the Revised Tariff Guidelines of 2013, interalia, stipulates that in case no tariff has been fixed for a commodity at a major port trust or if the highest tariff fixed for a particular commodity in the concerned major port trust does not represent the project proposed to be developed, then concerned major port trust can propose to this Authority any other tariff fixed under 2008 tariff guidelines in any other major port trust, which is representative enough for that commodity giving detailed and sufficient justification.

(iii) Though the PPT had initially proposed adoption of the upfront tariff fixed in respect of handling coal at VPT to arrive at the Reference tariff for its Coal berth, it has, subsequently requested to adopt its own upfront tariff fixed in the case of deep draught coal berth in July, 2008 to arrive at the Reference tariff for the Mechanisation of EQ –1, 2 and 3 berths, reportedly based on our suggestion.

In this regard, it is relevant here to mention that when the PPT has proposed adoption of the upfront tariff of VPT, by pointing out the significant differences in the values of various parameters between the project at PPT vis-à-vis, project at VPT, the PPT was requested to furnish detailed and sufficient justification to show how the upfront tariff of VPT proposed to be adopted by the PPT is representative enough for its proposed project, as stipulated in Clause 2.2 of the revised guidelines of 2013. While doing so, the PPT was requested to have a re-look at its proposal, based on the stipulations contained in clause 2.4 of the revised guidelines of 2013, if it so desires. The PPT was never advised by us to adopt upfront tariff fixed in the case of deep draught coal berth in July 2008 to arrive at the Reference tariff for the proposed facility, given that the PPT had already submitted that the upfront tariff of July 2008 is not a representative tariff for its proposed facility. Notwithstanding this position, the PPT has subsequently proposed adoption of its own upfront tariff fixed in respect of thermal coal in the case of the deep draught coal berth to determine the Reference tariff for handling thermal coal at the proposed facility. The judgment of the port to adopt its own upfront tariff fixed for thermal coal in the case of the deep draught coal berth to determine the Reference tariff handling thermal coal at the proposed facility is relied upon.

(iv) The Revised Guidelines of 2013 stipulate that while adopting the Reference tariff, the tariff set under the Tariff Guidelines of 2008 shall be escalated to the extent of 60% of WPI per annum, as provided in the said guidelines for the period between 1st January of the year as prescribed in the relevant tariff order of this Authority under 2008 guidelines and 1st January of the subsequent relevant year when the Reference Tariff for the particular project in question is being notified.

The upfront tariff for the deep draught coal berth at the PPT was notified in July, 2008. The Upfront Tariff Schedule of PPT specifically states that the base year of Wholesale Price Index (WPI) for indexation in the reference tariff rates approved in the said Order will be 1 January 2008. Accordingly, the PPT has applied the indexation factor of 26.15% on the tariff caps approved for the deep draught coal berth at PPT vide Order of July, 2008. This indexation factor is seen to be the indexation factor communicated by us to all the Major Port Trusts to be applicable for reference tariff fixed in the year 2013 with base WPI as on 1 January, 2008.

In the instant case of PPT, since the case is being finalized in the year 2014, the reference tariff for handling containers at PPT is to be indexed with reference to the indexation factor occurring between the year 2008 and the year 2014. In this regard, the indexation factor to be applicable for the year 2014 has not been firmed up due to non-availability of final wholesale price index figure (only provisional figures are available) for the months of November and December 2013. Therefore, the indexed reference tariff of PPT as of the year 2013 is be prescribed in the case of PPT.

However, the adoption of the reference tariff pertaining to the year 2013 (based on the indexation factor as applicable for the year 2013) would not put the successful bidder of PPT at a disadvantageous position, as in the Reference tariff Schedule approved for PPT, it is being mentioned that the base year of Wholesale Price Index (WPI) for indexation in the reference tariff rates approved in the said Order

will be 1 January 2013 and thus, the successful bidder's tariff would be fixed with reference to the base year of 2013 and that of the year in which he commences the operations.

Therefore, the indexed reference tariff for handling thermal coal at the proposed facility as derived by the PPT based on the indexation factor as applicable for the year 2013, is found to be in order.

(v) In the proposed reference tariff schedule, the PPT has not prescribed the definitions and the general terms and conditions forming part of the PPT Reference tariff Schedule. Further, the various conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges are also not seen to have been proposed by the PPT. In this regard, it is relevant here to mention that the upfront tariff schedule for the deep draught coal berth at PPT approved in July 2008 did not prescribe the definitions, general terms and conditions and the various conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges, which is generally prescribed in the Upfront tariff Schedule of the various major port trusts. Therefore, definitions, general terms and conditions and all other conditionalities governing the levy of cargo handling charges, storage charges and berth hire charges forming part of the Upfront tariff Schedule of the VPT (Order No. TAMP/53/2009-VPT dated 4 May, 2010) are suitably prescribed in the Reference tariff Schedule of PPT also.

(vi) Clause 2.2 of the revised tariff guidelines of 2013 requires This Authority to prescribe the Reference Tariff along with the Performance Standards. Though the revised guidelines of 2013 do not require This Authority to go into the Performance Standards proposed by the port it is not be unreasonable to assume that the ports would propose reasonable and achievable Performance Standard.

With regard to the performance standards, the PPT has proposed the gross berth output per berth at 48000 tonne per day. The said Performance Standard is seen to be based on the average output of the capesize vessels (50000 tonnes) and panamax vessels (35000 tonnes) and based on the share of capsize vessels and panamax vessels at 80:20, as relied upon in the optimal capacity calculation of deep draught coal berth at PPT.

The other performance standards prescribed by the PPT relating to Transit Storage Dwell Time for Export Thermal coal, Turnaround Time for receipt/ delivery operation are also prescribed, as proposed by the PPT.

The PPT has not prescribed the conditionalities governing the performance standards. Recognizing that clause 2.2 of the revised guidelines of 2013 requires this Authority to notify the Performance Standards, the Performance Standards as proposed by the port is notified along with the Reference Tariff Schedule.

(vii) For the reasons explained earlier, the following General note is prescribed in the Reference tariff Schedule of PPT for automatic adjustment in tariff caps for every subsequent years:

**"***The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2013 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31st March of the following year.***"**

6.1. Subject to above, the Reference Tariff Schedule along with conditionalities governing the Reference Tariff has been modified.

6.2. The modified Reference Tariff Schedule is attached as **Annex–I** and the Performance Standards for the mechanization of EQ –1, 2, 3 Berths as proposed by the port, is attached as **Annex–II**.

6.3. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, the modified Reference Tariff Schedule for the mechanization of EQ – 1, 2, 3 Berths at PPT is approved and notified along with the Performance Standards.

6.4. As per clause 2.5 of the Revised Tariff Guidelines 2013, the Reference Tariff and Performance Standards notified by this Authority shall be mentioned in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects. Accordingly, the PPT is advised to incorporate the Reference Tariff and Performance Standards, in the bid document and subsequently in the Concession Agreement in respect of PPP Projects.

7.1. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire concession period.

However, the PPP operator would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

7.2. The proposal shall be submitted to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous

12 months as incorporated in the Concession Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.

7.3. On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the PPT on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.

7.4. In the event of Operator not achieving the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the Operator shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.

7.5. After considering the views of the PPT, if TAMP is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.

7.6. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the Operator. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the operator. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.

7.7. From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the PPP operator shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The PPP operator, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

7.8. In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the PPP operator of the Performance Standards as notified by the TAMP, he may prefer a representation to TAMP which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding to the PPT. The PPT will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the respective Concession Agreement.

7.9. Within 15 (fifteen) days of the signing of the Concession Agreement, the concerned operator will forward the Concession Agreement to TAMP which will host it on its website.

7.10. The PPP operator shall furnish to TAMP quarterly reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each berth. The quarterly reports shall be submitted by the PPP operator within a month following the end of each quarter. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished to them from time to time.

7.11. TAMP shall publish on its website all such information received from PPP operator. However, TAMP shall consider a request from any PPP operator about not publishing certain data/information furnished which is commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/information in question and the likely adverse impact on their revenue/ operation of upon publication. TAMP's decision in this regard would be final.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]

**Annex - I**

## REFERENCE TARIFF SCHEDULE

### Mechanization of EQ – 1, 2, 3 Berths at Paradip Port Trust

**1.1 DEFINITIONS**

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

(i) "**Coastal vessel**" means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the competent authority.

(ii) "**Foreign going vessel**" means any vessel other than a Coastal vessel.

(iii) "**Day**" shall mean the period starting from 6.00 A.M. of a day and ending at 6.00 A.M. on the next day.

**1.2 GENERAL TERMS & CONDITIONS**

(i) The status of the vessel, as borne out by its certification by the customs or Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is "coastal" or "foreign-going" for the purpose of levy of vessel related charges; and the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.

(ii) (a) The berth hire charges for all coastal vessels should not exceed 60% of the corresponding charges for other vessels.

(b) The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal should not exceed 60% of the normal cargo related charges.

(c) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.

(d) Cargo from a foreign port which reaches an Indian Port "A" for subsequent transhipment to Indian Port "B" will be levied the concession charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/to Indian Ports carried by vessels permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.

(iii) Interest on delayed payments / refunds.

(a) The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the terminal operator shall pay penal interest on delayed refunds.

(b) The rate of penal interest will be 2% above the prime lending rate of the State Bank of India.

(c) The delay on refunds will be counted only 20 days from the day of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.

(d) The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the terminal operator. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the scale of rates.

(iv) In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions up to and inclusive 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of above 0.5 shall be treated as one unit, except where otherwise specified.

(v). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.

(vi) (a) The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels: likewise, rebates and discounts are floor levels. The terminal operator may, if they so desire, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.

(b) The terminal operator may also, if they so desire, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling levels.

(c) The terminal operator should notify the public such lower rates and / or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.

(vii) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to terminal operator.

**2. Cargo Related Charges**

**2.1. Cargo Handling Charges:**

The cargo handling charges shall be payable at the rates specified below:

| Sl. No. | Commodity | Unit | Rate in Rupees (₹ ) |
|---|---|---|---|
| a. | Thermal coal | Per Metric Tonne | 164.00 |

**Note:**

The above rate is the composite rate for loading the thermal coal to the ship, stack yard to conveying, storage at the stack yard upto free period of 10 days after the time of unloading the Thermal Coal from railway wagon, unloading from the railway wagons and stacking to the stack yard and all other miscellaneous services provided.

**2.2 Storage charges**

The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below:

(Rate in ₹ per MT per day)

| Sl. No. | Commodity | Rate for first 5 days for the balance cargo remaining after the free period | Rate for $6^{th}$ day to $10^{th}$ day for the balance cargo | Rate for $11^{th}$ day onwards for the balance cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thermal Coal | 15.14 | 30.28 | 60.55 |

**Notes:**

(i) 10 free days shall be allowed. Free period for export cargo shall commence from the actual date of the receipt of goods in the Port premises. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.

(ii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

(iii) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.

**3. Berth Hire charges**

The Berth Hire charges payable by masters/owners/agents for the vessel shall be as per rates below:

| Sl. No. | Vessels | Rate per GRT per hour or part thereof (₹ ) | |
|---|---|---|---|
| | | Foreign Going Vessel | Coastal Vessel |
| 1. | All Vessels | 0.93 | 0.56 |

**Notes:**

(i) The period of berth hire shall be calculated from the time vessel occupied the berth till she vacates the berth.

(ii) Berth hire includes charges for services rendered at the berth, such as occupation of berth, rubbish removal, cleaning of berths, fire watch etc.

(iii) No berth hire shall be levied for the period when the vessel idles at its berth for continuous one hour or more due to non-availability / break down of terminal operator's equipment or power failure or any reasons attributable to the terminal operator.

(iv) (a) Berth hire shall stop four hours after the time of the vessel signaling its readiness to sail.

(b) The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of the berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather and due to lack of night navigation.

(c) The Master/agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favorable tidal and weather conditions.

(v) The Penal berth hire shall be equal to one-day's (24 hours) berth hire charges for a false signal.

"False Signal" would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions."

**4. General Note to Sl. No. 2 to 3 above:**

The Reference Tariffs will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2013 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of Reference Tariffs will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

**Annex -II**

**Performance Standards for the Mechanization of EQ – 1, 2, 3 Berths at Paradip Port Trust**

| Sl. No. | Performance Indicator | Performance Standards |
|---|---|---|
| 1 | Gross Berth Output per berth for Thermal Coal | 48,000 Tonnes per day |
| 2 | Transit Storage Dwell Time for Thermal Coal – Export | 10 Days |
| 3 | Turnaround Time for receipt/delivery operation | |
| | Rake for Thermal Coal (Single operation) | 10 hours |
| | Rake for Thermal Coal (Double operation) | 18 hours |

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.